

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-12/2024-25

**LIC HOUSING FINANCE LIMITED**

बनाम्

**SMT. PUNAM DEVI**

—: आदेश :-

21.09.2024

प्राधिकृत पदाधिकारी, LIC HOUSING FINANCE LIMITED, 2<sup>nd</sup> Floor Biscoman Tower, Gandhi Maidan (West), Patna Bihar-800001 द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी Smt. Punam Devi W/o Babloo Kumar Vill.- Bandh Basti, P.O.- Kathara, Dist. Bokaro Jharkhand- 829116 के विरुद्ध LIC HOUSING FINANCE LIMITED में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष LIC HOUSING FINANCE LIMITED की ओर से श्री अभय शंकर के द्वारा दलील दी गई कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति ( All that part and parcel of the property consisting of Land & Building through Sale Deed No. 37 Dated 04.01.2019, Mauza- Banga Subdivision- Bermo, Anchal Peterwar, Halka- 6, Thana No. 31 Vartman Bhag- 3, Prist No. 121, Tauzi No. 28, Khata No. 35 Plot No. 374, 375, Area- 5 Decimal District Bokaro in the name of Punam Devi W/o Babloo Kumar.) को गिरवी रखते हुए 17,75,000/- (सतरह लाख पचहत्तर हजार) रुपये का LIC HOUSING FINANCE LIMITED से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण

ऋणकर्ता का खाता दिनांक-15.11.2021 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। दिनांक-20.10.2022 तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 20,05,843.32 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु LIC HOUSING FINANCE LIMITED के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी को निबंधित डाक से नोटिस भेजे जाने के बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है।

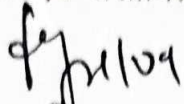
प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र एवं अभिलेख में संधारित कागजात के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित रहना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, LIC HOUSING FINANCE LIMITED, 2<sup>nd</sup> Floor Biscoman Tower, Gandhi Maidan (West), Patna Bihar-800001 द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण

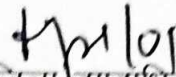
हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी  
आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।

स्थान:- बोकारो।

दिनांक:- 21/09/2024